न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 31 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मंगली पत्नी स्वर्गीय चुतरा 2. अणभा पत्नी तेजाराम 3. शांति पत्नी धोंकलाराम जाति विश्नोई निवासी कांवो की बेरी रोहिला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।	**बनाम** 1.धमी पुत्री चुतरा पत्नी रिडमलराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 2.भीखा पुत्र मुगला जाति विश्नोई निवासी कावो की बेरी रोहिला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 3.तहसीलदार धोरीमन्ना 4.शाखा प्रबन्धक बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 42 / 2015 बअनवान धमी बनाम मंगली वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री गंगाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 30.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रोहिला के खसरा संख्या 450 रकबा 17.13 बीघा, मौजा सुनारो की बेरी के खसरा संख्या 108 / 1 रकबा 03.04 बीघा में 1 / 2 हिस्से की एवं मौजा कांवो की बेरी के खसरा संख्या 74 रकबा 24.01 बीघा में 1 / 8 हिस्सा की खातेदार घोषित किया गया जो विधि के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित खसरा संख्या 108 / 1 रकबा 03.04 बीघा मौजा कांवो की बेरी अपीलकर्ता मंगली ने अपीलकर्ता संख्या 02 व 03 शान्ति व अणभा को अपनी आजीविका निर्वाह हेतु एवं दैनिक जरूरतो की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होने से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया जिस पर आज भी अपीलकर्ता संख्या 02 व 03 का कब्जा निर्विवाद एवं शान्तिप्रिय रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि दौराने विचारण पत्रावली सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी से अंतरित होकर नवृसजित न्यायालय सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना में विचारण हेतु स्थानान्तरित की गई। जबकि पक्षकारान को इस बाबत किसी प्रकार की सूचना जरिये नोटिस या अन्य प्रकार से नहीं दी गई। राजस्थान सरकार की ओर से न्याय आपके द्वारा अभियान चल रहा है और इस अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प लगाये जाकर मामले के दानों पक्षों की उपस्थिति में समझाईश एवं समझौते से मामले का निस्तारण किये जाने के निर्देश है। जबकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अनुचित दबाव या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उतरदाता संख्या 01 से लाभ या प्रलोभन से प्रभावित होकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हो विधि के विरूद्ध जाकर पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित खसरा संख्या 108/1 रकबा 03.04 बीघा मौजा कांवो की बेरी अपीलकर्ता मंगली ने अपीलकर्ता संख्या 02 व 03 शान्ति व अणभा को अपनी आजीविका निर्वाह हेतु एवं दैनिक जरूरतो की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होने से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया जिस पर आज भी अपीलकर्ता संख्या 02 व 03 का कब्जा निर्विवाद एवं शान्तिप्रिय रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है

हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय लुखू में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2015 बअनवान धमी बनाम मंगली वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 को निरस्त कर मामला इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे।

30/1/20
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner